

संख्या
 दिनांक

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/इंचार्ज,
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (जनपद-लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई)
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:- विश्वविद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण, छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के सम्बन्ध में। महोदय/महोदया,

कृपया संलग्न उपर्युक्त विषयक संलग्न कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, जनभवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-ई-4072/32 जी.एस./2026, दिनांक 21.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण, छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से निम्नवत् व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये हैं :-

- i. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल-यूज प्लास्टिक (जैसे-प्लास्टिक की बोतलें, कप प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।
- ii. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर में स्थित कैंटीन हॉस्टल और कार्यकर्मों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।
- iii. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।
- iv. परिसरों में 'बायो-डिग्रेडेबल' (गीला कचरा) और 'नॉन-बायो-डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) के लिए अलग-अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- v. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक 'प्लास्टिक-मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय-समय पर परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।
- vi. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

माननीय कुलाधिपति महोदय एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और सप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

अतः मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में आपसे अनुरोध है कि विश्वविद्यालय/सहयुक्त महाविद्यालय परिसर में दिनांक 31 जुलाई 2026 को लखनऊ विश्वविद्यालय के 69वें दीक्षान्त समारोह के आयोजन से पूर्व बिन्दु संख्या i से vi तक उल्लिखित बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

QA-12785-89

संख्या-

दिनांक-13/07/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

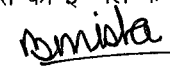
1. सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, ल0वि0।
3. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0।
4. कुलानुशासक, ल0वि0।

5. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने कष्ट करें।

6. गार्ड फाइल।

भवदीया,

(डॉ० भावना मिश्रा)
 कुलसचिव


 कुलसचिव

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या: ई. 4072 /32-जी.एस./ 2026

दिनांक: 21/06/ 2026

प्रेषक:

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता और संवेदनशीलता व्यक्त की है।

2. वर्तमान समय में सिंगल-यूज प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान सबसे सशक्त माध्यम हैं।

3. माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं:-

- विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल-यूज प्लास्टिक (जैसे-प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।
- विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।
- नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।
- परिसरों में 'बायो-डिग्रेडेबल' (शीला कचरा) और 'नॉन-बायो-डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) के लिए अलग-अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।
- इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक 'प्लास्टिक मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय-समय पर परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।
- परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे-प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों

4. अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर-3 के बिन्दु i से vi तक उल्लिखित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

[Handwritten signature]

कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी

vi. ~~परिसरों को स्वच्छ~~
~~प्रत्येक शनिवार/शु~~